

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 577/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
विलक्स हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड, अग्रवाल कार्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, 5th, पलोर, गोविन्द लाल
सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री अमर सिंह भाटी,
पता:- प्लॉट नं. ए-22, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा के पास, लाल कोठी, जयपुर
एवं राजस्थान स्टेट कॉ ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, 88, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
झोटवाडा, जयपुर।
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री हरि सिंह,
3. श्रीमती रचना सिंह,
पता :- प्लॉट नं. नं. ए-22, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा के पास, लाल कोठी,
जयपुर

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपरिथत :-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.03.2021 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिमूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विजय लक्ष्मी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 22-ए, दि कृष्णा कॉ ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि, भगवती नगर द्वितीय योजना, करतारपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 171.11 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 25,88,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.03.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को **25,88,000/-**रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **29,16,982.94/-**रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **16.03.2023** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती विजय लक्ष्मी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. **22-ए, दि कृष्णा कॉ ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि, भगवती नगर द्वितीय योजना, करतारपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 171.11 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक **31.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर